नगर परिषद डलहौज़ी,जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/21 से 03/23

भाग-एक

1. प्रारम्भिक:-

(**क**) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1)में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त)हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)-खण्ड –IV दिनांक 16-10-18 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत नगर परिषद डलहौज़ी के लेखों का अंकेक्षण अवधि 01.04-21 से 31.03.23 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम सं०	प्रधान का नाम	अवधि
1.	श्रीमती रानी शर्मा	01.04.21से 31.03.23

कार्यकारी अधिकारी :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम व पद नाम	अवधि
1.	श्रीमती राखी कौशल	01.04.21 से 31.03.23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं०	विवरण	पैरा सं०	राशि(₹)लाखों में
1.	बैंक द्वारा नगर परिषद के खाते में राशियों को जमा न करने बारे	4(क)iv	0.11
2.	बैंक खातों व रोकड़ बही में अन्तर	4(क)ix	0.01
3.	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6(ग)	498.98

4.	अनुदान का निर्धारित उद्देश्यों की अपेक्षा अन्य उद्देश्यों पर व्यय करने के कारण सम्भावित दुरूपयोग	6(घ)	490 .57
5.	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना।	6(ड०)	317.85
6.	गृहकर की बकाया राशिवसूलीहेतु शेष	7(क)	267.54
7.	देय गृह कर पर अनियमित रूप से छूट देने से हानि	7(ग)	1.37
8.	होटलों के गृहकर का निर्धारण न करने के फलस्वरूप राजस्व कीहानि	7(घ)	1.95
9.	गृहकर की गणना नियमों के अनुसार न करने के परिणामस्वरूप हुई राजस्व हानि	7 (ड०)	5.25
10.	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	187.52
11.	जल प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु शेष	9	14.00
12.	Conservancy tax की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	10	12.91
13.	विभिन्न मोबा ईल टावरों की नवीनीकरण फीस वसूली हेतु शेष	11	8.36
14.	सिनेमाहाल भवन के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	12	12.36
15.	तहबाजारी कम वसूलना	13	3.19
16.	डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क का कम वसूलना	14	85.78
17.	निष्पादित कार्य की प्रमात्रा की गणना में त्रुटी के कारण सविंदाकार को अधिक भुगतान	15(क,ख,ग)	0.98
18.	अनुचित रूप से कार्य का आबंटन करना	15 (घ)	9.91
19.	निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा सप्लाई निर्माण सामग्री के बिलों से रॉयल्टी की वसूली न करना	17	1.03
20.	स्थापना पर अनियमित व्यय	21(क)	278.06
21.	अनियमित रूप से बैंक से ऋण लेने पर ब्याज के रूप में अनियमित भुगतान	21(ख)	1.11

22.	हिमाचल प्रदेश वन निगम को 1035 पेड़ों की आपूर्ति के एवज में राशि न प्राप्त करना।	24	29.40
23.	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष	26	1.33

(ग) **गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-**

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। प्राय: यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यंत चिन्ताजनक है। अत: नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करें,ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

नगर परिषद डलहौज़ी के लेखों अवधि 01.04.21 से 31.03.23 का वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही,सहायक नियन्त्रकद्वारा दिनांक 19.06.23 से 23.08.23 तक के दौरान परिषद के डलहौज़ीस्थित कार्यालय में किया गया,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट है। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 10/21 व 04/22 तथा व्यय के लिए माह 07/21 व 10/22 का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद)द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई , के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

नगर परिषद के अवधि 04/21 से 03/23 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹47000/-आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक,हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग-

शिमला-9 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अधियाचना संख्या: 121दिनांक 23-08-23 द्वारा वर्तमान कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया । कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त राशिरेखांकित चैक संख्या: 073820 दिनांक 13.09.23 द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति:-

नगर परिषद डलहौज़ीकी अवधि 04/ 21से 03/23 तक की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –ख**(1से7)में दिया गया है।

(क) मुख्य रोकड़बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारम्भिक शेष	2772575.09	**974403.29**
अपने स्त्रोतों से आय	7537400.80	22008445.00
अन्य आय	372827.20	470656.00
LOAN	4500000.00	0.00
ब्याज	39078.00	36630.00
विकास निधि /BRGF खाते से हस्तान्तरित राशि	13900000.00	23300000.00
विकास निधि /DEV.A/Cखाते से हस्तान्तरित राशि	14700000.00	7500000.00
कुल राशि	**43821881.09**	**54290134.09**
व्यय	29511452.00	36390084.50
विकास निधि खाते को हस्तांतरित राशि	100000.00	1650000.00
Pension खाते को हस्तांतरितराशि	5288189.00	8716231.00
GPF खाते को हस्तांतरित राशि	4232225.00	2107705.00
CPF खाते को हस्तांतरित राशि	3715619.00	2155435.00
कुल व्यय	42847485.00	51019455.50
अन्तिम शेष	**974396.09**	**3270679.09**

BANK BAL AS ON 31.03.2023(MC)		
BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
SBI DALHOUSIE	11321778123	2275575.79
H.P.S.C BANK DALHOUSIE	18210105871	85147.00

Bank balance in HDFC Bank Dalhousie in a/c No. 50200056797951(House Tax)	50200056797951	1041660.73
TOTAL		**3402383.52**

<u>BANK RECONSILLATION STATEMENT OF MAIN CASH BOOK AS ON 31.03.2023</u>

PARTICULARS				**AMOUNT**
Closing Balance as per Cash Book on 31/03/2023				**3270679.79**
Plus cheque issued but not encashed till 31/03/2023: -				
1	**Cheque No.**	**Date**	**Amount debited on**	**Amount.**
2	312873	12-07-2021		5000.00
3	953292	17-11-2021		750.00
4	953379	26-03-2022		3000.00
5	248291	04-03-2023	Debited on 05/04/2023	645.00
6	248296	10-03-2023	Debited on 06/04/2023	3144.00
7	248303	10-03-2023	Debited on 18/04/2023	30810.00
8	248304	17-03-2023	Debited on 03/04/2023	115906.00
9	248310	23-03-2023	Debited on 03/04/2023	60558.00
10	248313	31-03-2023	Debited on 04/04/2023	149055.00
11	248314	31-03-2023	Debited on 19/04/2023	3387.00
12	248315	31-03-2023	Debited on 10/04/2023	30533.00
13	248316	31-03-2023	Debited on 10/04/2023	35704.00
14	248317	31-03-2023	Debited on 03/04/2023	29500.00
15	248318	31-03-2023	Debited on 04/04/2023	40000.00
16	AMOUNT CREDITED BY GSLI THROUGH NEFT AS PER STATEMENT 4/11/22 but not accounted in the cash book			4354.00
17	BULK POSTING AS PER STATEMENT DATED 23/3/23 not taken in cash book			24678.00
18	AMOUNT OF HOUSE TAX /ENDERED IN CB AT PAGE 4 DATED 31/3/23 ₹1821257 taken in place of 1821257.73			0.73

19	Amount received from Nodel Agency on account of marriage online registration during the month on dated 2/3,18/3,23/3 and 31/3/23 not accounted in the cash book	1000.00
20	Cost of tender received online not accounted in the cash book as per state dated 22/3,25/3/23	5500.00
21	Plus EMD of tender not accounted in the cash book dated 24/3 and 25/3/2023	78800.00
22	Amount not accounted in General Cashbook as booked 50.00 Lakh in place of 51.00 Lakh	100000.00
23	Interest received in account no. 18210105871 as per certificate issued by bank as on 31/03/2023 but not accounted in cash book	1471.00
	Total:	**723795.73**

Less income deposited but not credited in account as per statement March 2023

Sr. no	Date of income	G8 no.	Ch. No.	Dated	Name of Firm	AMOUNT
1	30-03-2006	99/4			RAJ MOHAN KHANNA	2064.00
2	15-05-2007	30-31/22			VIKAS RAIKY	9554.00
3	14-11-2012	86/34	178770	14-11-2012	AMRIT KAUR	710.00
4	20-07-2016	59/24	847310	19-07-2016	KAMLA DEVI OAK VILLA	265.00
5	25-03-2021	ch No.1332		26-03-2021		14685.00
6	23-09-2021	Less deposited where income was Rs. 1420/- and deposited in bank Rs. 1320(1420-1320=100)				100.00
7	02-09-2021	Less deposited where income was Rs.3123760/- and deposited in bank Rs. 3123758/-				2.00
8	01-04-2022		305	Amount deposited but not credited by bank		11350.00

9	23-02-2023		554	Credited in bank on 13/4/2023	3000.00
10	23-02-2023		555	Credited in bank on 13/4/23	2000.00
11	23-02-2023		556	Credited in bank on 13/4/23	1000.00
12	27-03-2023		578	Credited in bank on 4/4/23	14160.00
13	29-03-2023		585	Credited in bank on 4/4/23	42480.00
14	31-03-2023		1	Credited in bank on 4/4/23	28320.00
15	31-03-2023		2	Credited in bank on 4/4/23	24907.00
16	31-03-2023		3	Credited in bank on 3/4/23	20000.00
17	31-03-2023		4	Credited in bank on 4/4/23	120236.00
18	31-03-2023		5	Credited in bank on 3/4/23	283413.00
19	Amount wrongly debited by bank as per statement dated 10/07/2021				14160.00
20	Two ENTRIES debited by bank @295/- ON 14/6 AND 20/6/2022				590.00
21	AMOUNT OF HOUSE TAX BALANCE RS. 1821257/- TAKEN IN general CASH BOOK in place of RS. 1821267 ON 31/3/23 AT CB PAGE 4				10.00
22	CASH LESS DEPOISTED VIDE CHALLAN NO. 572 DATED 22/3/2023				50.00
				Total	**593056.00**
				Difrence	**964.00**

बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) बैंक समाधान विवरणी अनुसार जमा शीर्षक के क्रम 2 से 5 में दिनांक 12.07.21,17.11.21,26.03.22 को क्रमशः **₹5000**, **₹750व₹3000** के चैक जारी किये गये जोकि अब कालातीत हो चुके है इस सम्बन्ध में रोकड़ बही में उचितइन्द्राज करके समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(ii)बैंक समाधान विवरणी अनुसार जमा शीर्षक के क्रम संख्या 1 6 से 23 में दर्शाई(₹4354+₹24678+₹0.73+₹1000+₹5500+₹78800+₹100000+₹1471)बैंक द्वारा जमा प्रदान किया गया लेकिन रोकड़ बही के जमा पक्ष में दर्ज नहीं की गई थी। अत: जमा/ प्राप्ति की पुष्टि उपरांत लेन-देन की रोकड़ बही के आय पक्ष में प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii)बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम संख्या 6 व 7 तक पर दिनांक 02.09.21, 23.09.21 अनुसार बैंक में **₹102(₹100+₹2)** में कम जमा किये गए जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित राशियों की उचित स्त्रोत से वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा करके रोकड़ बही व लेखों में यथानुसार अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(iv)बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम संख्या 8 में दर्शाई **₹11350**की राशि दिनांक 01.04.22 को बैंक में जमा करवाए परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किये गए जिसके लिए बैंक से सम्पर्क करके जमा प्राप्त करते हुए अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(v)बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम 1 9 व 2 0 में दर्शाई राशि **₹14160 +₹590**का डेबिट बैंक द्वारा कर लिया गया है जिसका जिसके लिए बैंक से सम्पर्क करके अन्तर का समाधान लेखों करना सुनिश्चित किया जाए।

(vi)बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम 21में दर्शाई गृह कर की ऑनलाइन खाते का शेष **₹1821267/-** के स्थान **₹821257/-** का इन्द्राज मुख्य रोकड़ बही में किया गया । अत: **₹10** की राशि का समाधान रोकड़ बही में व लेखों में करना सुनिश्चित किया जाए।

(viii)बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम 22 में दर्शाई **₹50** की राशिचालान संख्या 572 दिनांक 22.03.23 द्वारा कम जमा किये गये जिसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर जमा किये जाए व अन्तर का समाधान लेखों करना सुनिश्चित किया जाए।

(ix)बैंक समाधान विवरणी अनुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के शेष में **₹964** का अन्तर पाया गया जिसका मिलान करके अन्तर का समाधान लेखों में करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(1)प्रोभ्दवन लेखांकन के साथ डबल एंट्री बही खाता पद्धति का उपयोग न करने बारे वअन्तिम खाते (तुलन-पत्र इत्यादि) प्रस्तुत न करने बारे :-

निदेशक, शहरी विकास हि.प्र.के पत्र सं : UD-H(C)-15-49/2003-iii/3332-3279 dt. 25.03.09 व UD-H(C)-15-49/2003-iii/9337-9385 dt. 07.09.09 व UD-H(C)-15-49/2003-iv/5215-63 dt.19.07.10 द्वारा सभी नगर परिषद को लेखा खातों का रख रखा वप्रोभ्दवन लेखांकन के साथ आय–व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री पद्धति का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद डलहौजी द्वारा लेखा खाता का रख-रखा व प्रोभ्दवन लेखांकन के साथ आय–व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री पद्धति का उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि अपने लेखा खातों का रख रखा व एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि अनियमित है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा तलपट,आय व व्यय खाता तथा तुलन-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: भविष्य में प्रोभ्दवन लेखाकन के साथ डबल एंट्री वही खाता पद्धति का उपयोग करके बही खतों का रख रखा व करना सुनिश्चित किया जाए व अन्तिम लेखे अंकेक्षण मेंप्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किएजाएँ।

(ख) विकास निधि रोकड़ बही

वित्तीयवर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारम्भिक शेष	712341.34	**773351.34**
BRGF से हस्तांतरित राशि	2600000.00	2150000.00
अनुदान से आय	24824333.00	22183915.50
ब्याज	48104.00	92875.00
मुख्य निधि खाते से हस्तांतरित राशि	0.00	200000.00

HOUSE TAX खाते से हस्तांतरित राशि	0.00	500000.00
Other	200000.00	0.00
कुल राशि	**28384778.34**	**25900141.84**
व्यय	12911427.00	18338386.00
मुख्य निधि खाते को हस्तांतरितराशि	14700000.00	7500000.00
अन्तिम शेष	**773351.34**	**61754.84**

BANK BAL AS ON 31.03.2023

BANK NAME	ACC.NO.	BAL
SBI DALHOUSIE	11321778587	61754.84
TOTAL		**61754.84**
BAL AS PER CASH BOOK AS ON 31-03-21		61754.84
Total		**61754.84**

(ग) BRGF रोकड़बही

वित्तीयवर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारम्भिक शेष	8511247.01	248801.01
अन्यआय	0.00	0.00
अनुदानसेआय	10894210.00	35542799.00
ब्याज	61765.00	232196.00
कुलराशि	19467222.01	36023796.01
व्यय	2518421.00	6844462.00
मुख्यनिधिखातेकोहस्तांतरितराशि	13900000.00	22950000.00
Development Work खातेकोहस्तांतरितराशि	2600000.00	2350000.00
Door to Door collection खातेकोहस्तांतरितराशि	200000.00	3100000.00

कुल व्यय	19218421.00	35244462.00
अन्तिमशेष	**248801.01**	**779334.01**

BANK BAL AS ON 31.03.2023(BRGF)

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
SBI DALHOUSIE	30649599728	20155.00
HDFC(CFC)	50100157623580	2950480.01
HDFC(Parking)	50100283753817	118652.00
HDFC(MMSRGY)	50100502990002	155756.00
TOTAL		**3245043.01**

LESS Cheque issued but not encashed :

Cheque No.	**Amount**	
Ch. No. 000048 dated 10/03/2023	700000.00	
Ch. No. 000049 dated 31/03/2023	440483.00	
Ch. No. 000050 dated 31/03/2023	209554.00	
Ch. No. 000051 dated 31/03/2023	473159.00	
Ch. No. 000052 dated 31/03/2023	283650.00	
Ch. No. 000053 dated 31/03/2023	252987.00	
Ch. No. 000054 dated 31/03/2023	105876.00	
Total:	**2465709.00**	**2465709**
अन्तिमशेष		**779334.01**

(घ) पेंशनऔरग्रेच्युटीरोकड़बही

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारम्भिक शेष	**4609.38**	**12642.38**
मुख्यनिधिखातेसेहस्तांतरित राशि	5288189.00	8716231.00
ब्याज	181.00	777.00
Transfer from CPF Account	1301454.00	0.00

कुलराशि	**6594433.38**	**8729650.38**
ब्यय	6581791.00	8713679.00
अन्तिमशेष	**12642.38**	**15971.38**

BANK BAL AS ON 31.03.2023 (PENSION &GRATUITY)

BANK NAME	ACC.NO.	BAL
SBI DALHOUSIE	11321777797	15971.38
TOTAL		**15971.38**

(ड.)NULMरोकड़बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारम्भिक शेष	**6498.45**	2374.45
अपनेस्त्रोतोंसेआय	0.00	0.00
अनुदानसेआय	0.00	0.00
ब्याज	0.00	64.00
कुलराशि	**6498.45**	**2438.45**
व्यय	4247.00	0.00
अन्तिमशेष	**2251.45**	**2438.45**

BANK BAL AS ON 31.03.2023(NULM)

BANK NAME	ACC.NO.	BAL
SBI DALHOUSIE	11321777639	2438.45
TOTAL		**2438.45**

(च) GPF रोकड़बही

वित्तीय वर्ष	2021-22	2022-23
प्रारंभिकशेष	**9871554.70**	**10819251.70**
ब्याज	460294.00	418585.00
मुख्यनिधिखातेसेहंस्तारितराशि	4232225.00	2107705.00

कुलराशि	**14564073.70**	**13345541.70**
व्यय	3744822.00	3631575.50
अन्तिमशेष	**10819251.70**	**9713966.20**

BANK BAL AS ON 31.03.2023(GPF)

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
SBI DALHOUSIE	11321778134	2949970.20
FDR		6763996.00
TOTAL		**9713966.20**

(छ) CPF रोकड़बही

वित्तीय वर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारंभिकशेष	**14480281.00**	**16721618.00**
ब्याज	603813.00	760505.00
मुख्यनिधिखातेसेहस्तांतरितराशि	3715619.00	2155435.00
कुलराशि	**18799713.00**	**19637558.00**
व्यय	2078095.00	1312406.00
अन्तिमशेष	**16721618.00**	**18325152.00**

BANK BAL AS ON 31.03.2023(CPF)

BANK NAME	**ACC.NO.**	**BAL**
HPSCB DALHOUSIE	18210108157	7609610.00
FDR		10822394.00
TOTAL		**18432004.00**
Less interst not accounted in the cash book taken in 04/23		**107352.00**
Less amount less credited on 01/09/2022 as per passbook		**500.00**
Bal as per cash book as on 31-03-21		**18325152.00**

बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखितअनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करकेअंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) बैंक समाधान विवरणी अनुसार जमा शीर्षक में दर्शाई **₹500** की राशि दिनांक 01.09.22 को बैंक द्वारा कम जमा किये गये परन्तु जिसके लिए बैंक से सम्पर्क करके जमा प्राप्त करते हुए अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(ज) DOOR TO DOOR COLLECTION

वितीयवर्ष	**2021-22**	**2022-23**
प्रारंभिक शेष	**0.00**	**164567.12**
अपने स्त्रोतों से आय	162354.12	2026800.00
BRGF से हस्तांतरित राशि	200000.00	3100000.00
ब्याज	0.00	0.00
कुल राशि	**362354.12**	**5291367.00**
व्यय	197787.00	5155834.00
अन्तिम शेष	**164567.12**	**135533.12**

BANK POSITION OF DOOR-TO-DOOR COLLECTION ACCOUNT AS ON 31/03/2023

BANK NAME		**ACC.NO.**	**BAL**
1	**HDFC Bank Dalhousie**	**50200056799316**	**265451.12**
Plus income deposited but not credited in Bank			
1	Income dated 1/6/22 Elgin Hall not credited in bank hence to be recover	2500.00	
2	Income dated 9/5/22 Kohinoor not credited in Bank hence to be recover	2000.00	
3	Income dated 2/11/22 Elgin Hall not credited in	2500.00	

	Bank hence to be recover		
4	Income dated 9/3/23 Monga credited in bank on 23/4/23	4500.00	
5	Income dated 24/2/23(PNB) not debit yet hence to be recover	100.00	
6	Income dated 27/3/23 PNB not credit yet hence to be recover	100.00	
7	Income dated 31/3/23 credited in bank on 3/04/2023	3850.00	
8	Amount transfer from BRGF A/c to D2D A/c but not credited till 31/03/2023 which is credited in D2 D a/c on 03/04/2023	700000.00	
	Sub Total:	**715550.00**	**715550.00**
Less Cheque issued but not debited in bank: -			
1	Cheque No. 000011 dt. 03/06/2022 not debited yet hence reverse entry to be taken.	4040.00	
2	Cheque No. 000044 10/03/2023 debited on 03/04/2023	503622.00	
3	Cheque No. 000045 dt. 10/03/2023 on 03/04/2023	337656.00	
4	Less amount excess deposited vide challan NO. 226 dated 30/01/23 vide which income to be deposited Rs. 7350/- but deposited 7400/-	50.00	
5	Less income dated 21/05/22 but not taken in cash book till 31/03/2023	100.00	
	Sub Total: -	845468.00	**845468.00**
	TOTAL		**135533.12**

बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः-

(i) बैंक समाधान विवरणी अनुसार जमा शीर्षक में दर्शाई क्रम संख्या: 1,2,3,5,6 में **₹7200** की राशि**(₹2500+₹2000+₹2500+₹100+₹100)** को ऑनलाइन अर्जित किया परन्तु बैंक में जमा प्रदान नहीं हुआ जिसके लिए बैंक से सम्पर्क करके उचित स्त्रोत से वसूली कर बैंक में जमा किया जाए व अन्तर का समाधान लेखों में किया जाए।

(ii) बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम 1 में दिनांक 03.06.22 को क्रमशः**₹4040** का चैक जारी किये गये जो की अब कालातीत हो चुके है इस सम्बन्ध में रोकड़ बही में उचित इन्द्राज करके समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम 4 में दिनांक 30.01.23 में **₹50** अधिक जमा किये गए जिसका लेखों में उचित इन्द्राज करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) बैंक समाधान विवरणी अनुसार घटाव शीर्षक के क्रम 5 में दिनांक 21.05.22 को ₹100 की राशी बैंक में जमा की गई परन्तु दिनांक 31.03.23 तक रोकड़ बही में आय पक्ष में इन्द्राज नहीं किया गया जिसका लेखों में उचित इन्द्राज करके अन्तर का समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश :-

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ग "**पर उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक GPF,CPF निधि से सावधि जमा योजना में ₹**17596390/-** निवेशित थे ।अत: सावधि जमा परिपक्वता तिथि को भुनाना या पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

6 (क)स्व : स्त्रोत :- अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत आय व्यय जाँच में पाया गया कि स्व: स्त्रोत से सम्बन्धित गत अन्त शेष अंकेक्षण को नहीं दर्शाया गया है व जिसके लिए संस्था द्वारा कोई भी बैंक खाता अलग से नहीं रखा गयाथा। अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए स्व : स्त्रोत से सम्बन्धित आय व व्यय का ब्यौरातो तैयार किया गया परन्तु आरम्भिक शेष के अभाव में स्व : स्त्रोत की वित्तीय स्थिति की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी ।अत: स्व: स्त्रोत से सम्बन्धित

अलग से बैंक खाता रखाजाए व भविष्य में इसकी पृथक वित्तीय स्थिति का रख-रखा व किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान :-

नगर परिषद की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.   21 से 31.03.2 3 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**अनुदान प्राप्त**	**कुल राशि**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	60074638.00	35718743.00	95793381.00	46335796.00	49457585.00
2022-23	49457585.00	57726778.00	107184363.00	57286262.00	49898101.00

(ग) अनुदान ₹498.98 लाख के उपयोग हेतु शेष:-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "घ"** पर प्रस्तुत अनुदान विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2   3को ₹49898101/-उपयोग हेतु शेष थे जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अत: अनुपयोग इन अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उदेश्यों हेतु व्यय/उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित विभाग को किया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) अनुदान₹490.57लाख का निर्धारित उदेश्यों की अपेक्षा किसी अन्य उदेश्य हेतु व्यय करके सम्भावित दुरूपयोग:-

अवधि 01.04.19 से 31.03.21 के अनुदान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2 3 तक नगर परिषद के पास अनुदान में से   ₹49898101/- उपयोग हेतु शेष थे जबकि विकास कार्यों की विभिन्न रोकड़ बहियों (BRGF+Development+SJSRY/NULM) में दिनांक 31.03. 23 को मात्र ₹841088.85 (₹8511247.01+₹712341.34+₹6498.45) ही अन्त शेष/उपलब्ध थी अर्थात नगर परिषद द्वारा ₹49057012.15 (₹49898101-₹841088.85)निर्धारित उद्देश्यों की अपेक्षा अन्य अनाधिकृत उद्देश्यों के लिए व्यय किए गए प्रतीत होते है। गत अंकेक्षण

प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 (ख) में भी उक्त अनियमितता बारे अवगत करवाया गया था परन्तु संस्था द्वारा इस बारे कोई ठोस कार्यवाही नही की जा रही है जोकि एक गम्भीर मामला है। अत: पुनः प्रकरण निदेशक,शहरी विकास विभाग के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है ताकि अनुदान राशियों का निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग सुनिश्चित हो सके।

(ङ) अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित ₹317.85 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जारी न करना :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट(घ-1)**पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाके अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹103622058/-का व्यय दर्शाया गया था। परन्तु दिनांक 31.03.23 तक अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित ₹31785421के जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अत: वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की जा चुकी अन्य सरकारी अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित विभाग को जारी किए जाने के अतिरिक्त आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किए जाएं।

(च) नगर परिषद के गत तीन वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के आय-व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	स्वः स्त्रोत से आय	प्राप्त अनुदान	व्यय
2020-21	17271277.00	48336678.00	66287374.00
2021-22	7699761.92	35718743.00	57548042.00
2022-23	24035245.00	57726778.00	80386427.00

7. गृहकर

(क) गृहकर की बकाया ₹267.54लाख की वसूली न करना :-

परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है जिससे प्राप्त आय को नगर परिषद के अधिसूचित क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए व्यय किया जाता है परन्तु नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2 3 तक ₹26754402/-गृहकर के रूप में वसूल करने शेष थे जिसका विवरण **परिशिष्ट "ड."** में दिया गया है ,जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अत: बकाया गृहकर की वसूली हेतु अविलम्ब नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) 119 गृह कर दाताओं से ₹116.67 लाख वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण में पाया गया कि कुल बकाया गृहकर में से ₹11666574/- केवल 119 करदाताओं से ही वसूली हेतु बकाया थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-"ड.-1"** पर दिया गया है। इस प्रकार कुल बकाया गृहकर का 43.61%इन्हीं करदाताओं से वसूली हेतु बकाया था जबकि नगर परिषद द्वारा इन करदाताओं को सभी मूलभूत सुविधाएँ समय-2 पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अत: नियमानुसार इन करदाताओं से गृहकर की वसूली हेतु उचित कदम उठाना सुनिश्चित करें एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

(ग)गृह कर वसूली हेतु अनुचित रूप से ₹0.90 लाख की छूट देना व ₹0.47 लाख की अधिभार की राशि को न वसूलना :-

नगर परिषद अधिनियम (2) के13 अध्याय के अनुच्छेद 86 1994 के अनुसार गृह कर ओ बिल जारी के दिनांक से 10 दिन के भीतर वसूलना अपेक्षित था यदि गृहकर दाता समय पर गृह कर्ता है तो 20% छूट दी जाएगी अन्यथा 10% कीदर से अधिभार लगाया जाना भी अपेक्षित था । अंकेक्षण द्वारा चयनित माह 10/21 व 04/22 के गृह कर के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार गृह कर दाता द्वारा 6 महीने बाद गृह कर का भुगतान किया गया व नगर परिषद द्वारा अनियमित रूप से 20 % की दर से छू ट दी गई व 10 % की दर से अधिभार भी नहीं लगाया गया जिसके परिणाम स्वरूप नगर परिषद को आय के रूप में ₹137414/- हानि हुई है जोकि एक गम्भीर वित्तीय मामला है।

गृह कर दाता का नाम	**बिल संख्या/दिनांक**	**रसीद संख्या / दिनांक**	**आई.डी.सं.**	**गृह कर की राशि**	**वसूली राशि**	**दी गई छूट**	**अधिभार की राशि**
श्री जोगिन्द्र सिंह	000064 03.04.21	15/87 01.10.21	000152/001/CMD	5611	4489	1122	561
श्रीमती कमल देवी	000807 06.04.21	15/90 04.10.21	600086/006/CMD	3940	3152	788	394
श्री एम कालेव	000735 06.04.21	15/91 04.10.21	600012/006/CMD	10711	8569	2142	1071
श्री सुरेश गुप्ता	001080	15/93	800075/008/CMD	2466	1973	493	247

	08.04.21	04.10.21					
श्रीमती पामेला चतरथ	001295 03.04.21	15/96 04.10.21	000236/001/CMD	16318	13055	3263	1632
केप्टन रवि कोहली	000110 03.04.21	15/97 04.10.21	000261/001/CMD	2624	2100	524	262
कर्नल के. कपिला	000006 03.04.21	15/100 04.10.21	000016/001/CMD	4366	3493	873	437
श्री अगबाल सिंह	000012 03.04.21	16/02 04.10.21	000028/001/CMD	+BP8267 1567 9831=	9518	313	983
श्रीमती कृष्णा चौधरी	000977 08.04.21	16/05 04.10.21	700093/007/CMD	1338	1071	267	134
श्रीमती आपरेशन	001120 08.04.21	16/07 04.10.21	000037/001/CMD	5941	4753	1188	594
श्री ख़ुशी राम	000051 03.04.21	16/08 04.10.21	000124/001/CMD	3258	2607	651	326
सेंट जोहन चर्च (शॉप)	000001 03.04.21	16/12 05.10.21	000001/001/CMD	3286	2869	417	329
सेंट जोहन चर्च (शॉप)	000002 03.04.21	16/13 05.10.21	000002/001/CMD	5112	4090	1022	511
वकिंदर सिंह	001072 08.04.21	16/14 05.10.21	800067/008/CMD	2547	2038	509	255
श्री परवेश	000763 06.04.21	16/15 05.10.21	600040/006/CMD	1258	1006	252	126

श्रीमती कीर्ति जय राम	000098 03.04.21	16/16 05.10.21	000227/001/CMD	5601	4481	1120	560
श्री असीम तिवारी	001020 08.04.21	16/21 05.10.21	800015/008/CMD	2008	1607	401	201
श्री एस. एल. कौल	001020 08.04.21	16/22 05.10.21	800017/008/CMD	+BP809 4253=3444	3565	688	425
श्रीमती केसरो देवी	001125 08.04.21	16/23 05.10.21	900039/009/CMD	17900	14320	3580	1790
श्रीमती आदर्श बाला	000516 04.04.21	16/24 05.10.21	300049/003/CMD	2804	2243	561	280
श्री सतीश कुमार	000508 04.04.21	16/24 05.10.21	300041/003/CMD	5951	4761	1190	595
श्रीमती सुमित्रा देवी	001087 08.04.21	16/26 06.10.21	900002/009/CMD	4133	3307	826	413
श्री आर. एस. चाहल	000107 03.04.21	16/27 06.10.21	000251/001/CMD	6670	5336	1334	667
श्री अमरजीत कोचर	000050 03.04.21	16/27 06.10.21	000122/001/CMD	1636	1309	325	164
श्रीमती सुधा आहूजा	000113 03.04.21	16/30 06.10.21	000266/001/CMD	7115	5692	1423	711
श्री सिमरजीत सिंह	000112 03.04.21	16/31 06.10.21	000266/001/CMD	6646	5317	1329	665
श्रीमती निम्मी चोपड़ा	001081 08.04.21	16/33 05.10.21	800017/008/CMD	+BP1943 4341=2398	3953	388	434
श्री कुलदीप राय	000061 03.04.21	16/34 06.10.21	000266/001/CMD	3671	2937	734	367
श्री सर्वजीत सिंह	001085 08.04.21	16/35 06.10.21	800080/008/CMD	6576	5261	1315	658
श्री भण्डारी	001085	16/35	800039/008/CMD	31501	20709	6300	3150

	08.04.21	07.10.21					
श्री सतीश कुमार	000670 06.04.21	16/41 07.10.21	500001/005/CMD	11712	9370	2342	1171
श्री ऋषि	000030 03.04.21	16/44 07.10.21	000074/001/CMD	+BP915 2337=1422	2053	284	267
श्री अमित सिंह	000044 03.04.21	16/48 07.10.21	000108/001/CMD	26790	21432	5358	2679
श्री सुरेश कुमार	001085 08.04.21	16/49 07.10.21	800061/008/CMD	3370	2696	674	337
श्री व्यास देव	000075 03.04.21	16/50 07.10.21	000178/001/CMD	2307	1846	461	231
श्रीमती मीनाक्षी मंसोत्रा	001043 08.04.21	16/54 07.10.21	8000/008/CMD38	5203	4163	1041	520
चेयरमैन अर्पणा ट्रस्ट डलहौजी	000099 03.04.21	16/56 08.10.21	000230/001/CMD	6121	4897	1224	612
चेयरमैन अर्पणा ट्रस्ट डलहौजी	000101 03.04.21	16/57 08.10.21	000238/001/CMD	5904	4724	1181	590
श्री फतेह सिंह ढिल्लों	001082 08.04.21	16/58 08.10.21	800077/008/CMD	12483	9987	2497	1248
श्री प्रभु जीत सिंह ढिल्लों	001083 08.04.21	16/59 08.10.21	800078/008/CMD	10041	8033	2008	1004
श्री एस. एस. खोसला	001109 08.04.21	16/61 08.10.21	900024/009/CMD	BP2455 3769+ 6224=	5471	754	377
श्रीमती सोमा देवी	000958 08.04.21	16/62 08.10.21	700074/007/CMD	5415	4332	1083	1082
श्री पी ,एन. गम्भीर	000957 08.04.21	16/63 08.10.21	700073/007/CMD	6206	4965	1241	621
श्री संदीप सिहं	000102 03.04.21	16/64 08.10.21	000240/001/CMD	19530	15624	3906	1953

श्री बी. एस. पठानिया	001023 08.04.21	16/65 08.10.21	800018/008/CMD	1480	1184	296	148
श्री जे. एस. तिवारी	001021 08.04.21	16/66 08.10.21	800016/008/CMD	2243	1795	449	224
श्री ज्योति सरूप ढिल्लों	000106 03.04.21	16/67 08.10.21	000249/001/CMD	3801	3041	760	380
श्री धनविजय गुप्ता	0001099 08.04.21	16/68 08.10.21	900014/009/CMD	86613	69291	17323	8661
श्री अमलोक सिहं	00927 08.04.21	16/69 08.10.21	700043/007/CMD	4947	3958	989	495
श्री सुरेन्द्र सिहं	001071 08.04.21	16/71 08.10.21	800066/008/CMD	3240	2592	648	324
श्री ध्यान सिहं	001030 08.04.21	16/73 08.10.21	800025/008/CMD	1566	1253	313	157
श्री जे . एस. पठानिया	001024 08.04.21	16/74 14.10.21	800019/008/CMD	1421	1137	284	142
श्री मुलख राज बाल्मीकि	001068 08.04.21	16/75 14.10.21	800063/008/CMD	2134	1707	427	213
श्री सरदार सिंह	000699 08.04.21	16/78 14.10.21	500030/005/CMD	18932	15146	3786	1893
श्री गुरदीप सिंह	000810 06.04.21	16/79 14.10.21	600089/006/CMD	7604+412 8016=	6495	1521	760
श्री किशोरी लाल	001126 08.04.21	16/85 22.10.21	900040/009/CMD	18045	14436	3609	1804
श्री रविंदर मोहन उप्पल	000052 03.04.21	16/92 22.10.21	900040/001/CMD	2605	2084	521	261

कुल जोड़	**90318**	**47096**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 108 दिनांक 17.08.23 द्वारा नगर परिषद को अवगत करवाया गया व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के प्रत्युत्तर सं: 1000 दिनांक 28.08.23द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त बिलों को सही करके सम्बन्धित को दोबारा देने थे परन्तु सॉफ्टवेयर वर्तमान दिनांक बिल में उठा रहा था भविष्य में अंकेक्षण द्वारा दिए गए प्रावधानो अनुसार छूट दी जाएगी उत्तर सन्तोषजनक नहीं है ।अत: उक्त राशियों को उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित जाए व भविष्य में नियमानुसार छूट दी जानी सुनिश्चित की जाए ।भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए ।

(घ) नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटलों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण ₹1.95लाख की हानि:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्न होटल के नक्शे पास हुए थे जिनका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चूका है व नगर परिषद द्वारा कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र भी जारी किए गए है । निम्नलिखित विवरणानुसार होटल का गृह कर का निर्धारण नही किया गया जबकि इन में से एक होटल के निर्माण कार्य पूर्ण हुए एक साल से अधिक का समय हो चूका है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा निम्न होटल मालिक को अनुचित रूप से लाभ पहुँचाया जा रहा है व नगर परिषद होटल करों के निर्धारण व वसूली हेतु गम्भीर नही है जोकिअति गम्भीर मामला है ।

होटल का नाम	**प्रोपराइटर का नाम**	**निर्माण कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र संख्या/ दिनांक**	**क्षेत्रफल पारित नक्शा अनुसार**	**दर**	**वसूली योग्य गृह कर की राशि**
द सीजन डलहौजी	श्री प्रकाश चन्द्र जोहर	310/ 20.12.2021	629.80 sqm	90sqm	85023 (18माह)
संगरीला	श्रीमती मोनिका	488 /13.05.2022	151.45	90sqm	13630 (1वर्ष)

	मेहरा		sqm		
सागरिका	श्रीमती मृधु	511/19.05.22	1070sqm	90sqm	96300(1 वर्ष)
		कुल वसूली योग राशि			**194953**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 99 दिनांक 25.07.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को अवगत करवाया व उनके प्रत्युत्तर सं 1007 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया गया कि उक्त होटलों के कर के निर्धारण सम्बन्धित कार्यवाही जारी है व उक्त होटलों के निर्माण पूर्ण दिनांक से वसूली करली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।अत: उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(ड.)गृहकरकीगणनानियमोंकेअनुसारनकरनेकेपरिणामस्वरूप₹5.25लाखकीवित्तीयहानिकेसंदर्भमें:-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा भवनों के गृहकर की गणना नगर पालिका अधिनियम 1994 –में वर्णित नियमों के अनुसार नहीं की गई थी अर्थात किराये के भवनों में संचालित बैंकों के किराये के समझौते में गृहकर का निर्धारण अपेक्षित किराये से कम करके गृह मालिकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को "**परिशिष्ट-"च "**पर वर्णित विवरणानुसार दिनांक 31.03.23 तक ₹524900/- की वित्तीय हुई है । जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नगर परिषद क्षेत्र में स्थित वर्णित समस्त भवनों के गृहकर का निर्धारण नियमों के अनुसार करके देय ₹524900/-की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(च) गृह कर दाताओं को करोना काल के दौरान 50% अनियमित रूप से छूट देने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि प्रस्ताव संख्या:116 दिनांक 28.10.20 अनुसार करोना काल के कारण वर्ष 2021-22 में 50% गृह कर की छूट दी गई परन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जोकि अनियमित था क्योंकि छूट केवल करोना अवधि के लिए दी जानी अपेक्षित थी न कि आधे वर्ष के लिए । अत: उक्त अनियमितता को सक्षम

अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 (क) दुकानों के किराये की बकाया ₹187.52 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों /खोखो इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है तथा इनसे प्राप्त किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है।नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट-"छ "** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2 3 तक किराये के रूप में **₹18752394**/- वसूली हेतु शेष थे जबकि निदेशक,शहरी विकास विभाग के पत्र सं :-यू०एल० बी० .एच० ए० 9(7)-1/87-9237/9284 दिनांक 20-06-01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए थे लेकिन कार्यकारी अधिकारी,नगर परिषद डलहौजी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जिससे किराये की बकाया राशि में हर वर्ष बढौतरी हो रही है जोकि गम्भीर चिन्ताजनक का विषय है। अत: परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशि की वसूली हेतु अविलम्ब नियमानुसार प्रभावी कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाए। विशेषकर 76 दुकानदारों से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए जिसका **परिशिष्ट –"छ -1" पर** वर्णित विवरणानुसार**₹12993147/-** वसूल करने शेष है । अतः दुकानों के किराये की वसूली अनुबन्ध अनुसार करके कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) किराये दारों को करोना(covid-19) के कारण 50% अनियमित रूप से छूट देने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि प्रस्ताव संख्या:116 दिनांक 28.10.20 अनुसार करोना काल के कारण की वर्ष 2021-22 में दुकान दारों को किराये में 50% की छूट दी गई परन्तु इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जो की अनियमित था अत: उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9. जल प्रभार (water tax)की बकाया राशि ₹14.00 लाख वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण में पाया गया कि 31.03.23 को जल प्रभार के रूप में **₹**1399606वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-ज** पर दिया गया है ।यह राशि दिनांक 31-03 - 2019 से पूर्व अवधि की वसूली हेतु शेष है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है इस प्रकरण को नगर परिषद प्रशासन के

ध्यानार्थ लाया जाता ताकि काफी लम्बे समय से पड़ी उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं वतदानुसार अपेक्षितअनुपालना से इस विभाग को भीअवगत करवाया जाए ।

10. Conservancy tax की बकाया राशि₹12.91लाख की वसूली न करना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि 31.03.23 को Conservancy tax के रूप में ₹1291094/-वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण **परिशिष्ट- झ** पर दिया गया है ,यह राशि दिनांक 31-03- 2019 से पूर्व अवधि की वसूली हेतु शेष है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है । अतः यह प्रकरण को नगर परिषद के ध्यानार्थ विशेष रूप लाया जाता है ताकि काफी लम्बे समय से लम्बित उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाएं तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹8.36 लाख वसूली हेतु शेष :-

मोबाईल टावरों के रजिस्टर की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.23को विभिन्न मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹836274/- वसूली हेतु शेष थे जिसका विस्तार पूर्वक**परिशिष्ट "ञ"**पर दिया गया है -:

BSNL.	125004
एयरटेल टॉवर	113754
टाटा टावर	90002
रिलायंस	133754
एयरसेल	152504
वोडाफोन	177504
आईडिया	43752
कुल राशि	**836274**

अत: उक्त बकाया ₹836274/- कीवसूली हेतु नियमानुसार ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

12. सिनेमा हाल भवन के किराये की बकाया₹12.36लाखकी वसूली न करना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि श्री रविकांत वालिया द्वाराजून 2004 ,के पश्चात सिनेमा हाल भवन के किराये का नगर परिषद को भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार दिनांक 31.03.2023 तक निम्नविवरणानुसार **₹1236135/-** किराये की वसूली हेतु शेष थे :-

Years	Municipal Rent	Water Tax	Conservancy Tax	G.C.C	G.S.T.	TOTAL
2004-05	36501	220	440			37161
2005-06	40151	2410	4820			47381
2006-07	40151	2410	4820			47381
2007-08	40151	2410	4820			47381
2008-09	46174	2770	5541			54485
2009-10	46174	2770	5541			54485
2010-11	46174	2770	5541			54485
2011-12	53100	3186	6372			62658
2012-13	53100	3186	6372			62658
2013-14	53100	0	0	1800		54900
2014-15	61065	0	0	1800		62865
2015-16	61065	0	0	0		61065
2016-17	61065	0	0	0		61065
2017-18	70225	0	0	0	6320	76545
2018-19	70225	0	0	0	12641	82866
2019-20	70225	0	0	0	12641	82866
2020-21	80759	0	0	0	14537	95296
2021-22	80759	0	0	0	14537	95296
2022-23	80759	0	0	0	14537	95296
TOTAL	**1090923**	**22132**	**44267**	**3600**	**75213**	**1236135**

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम -1994की धारा 86(2)के अंतर्गत बकाया किराये की वसूली हेतु श्री रविकान्त वालिया को लीगल नोटिस भी भेजा गया था,लेकिन आज तक कोई भी बकाया राशि की वसूली नहीं जा सकी है। यह एक अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है,जिसका उल्लेख गतअंकेक्षणप्रतिवेदन 04/2019से 03/2021के पैरा संख्या 12 में दिया गया था। अत: यह प्रकरण निदेशक,शहरी विकास,हिमाचल प्रदेश,शिमला के ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि प्रकरण की विस्तृत छानबीन करके आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि परिषद को अनावश्यक हानि से बचाया जा सके व इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. तहबाजारी के रूप में ₹ 3.19लाख बकाया राशि को न वसूलने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान तहबाजारी से सम्बन्धित रजिस्टर /अभिलेख की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि निम्नलिखित व्यक्तियों /तहबाजारियों से अंकेक्षण के दौरान तक **₹319500/-** राशि वसूली हेतु शेष थी। अत :बकाया राशि को न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

क्रम संख्या	**नाम**	**दर प्रति माह**	**अवधि**	**बकाया राशि**
1.	श्री संजीव सपुत्र देश राज	1500	04/22 से 07/23 (16 माह)	24000
2.	श्री मेजर सपुत्र बिट्टू	1500	02/22 से 07/23 (18 माह)	27000
3.	श्री अमर सिंह सपुत्र लोचन	1500	06/22 से 07/23(14माह)	21000
4.	श्री अमित कुमार सपुत्र छोटू राम	1500	02/22 से 07/23 (18 माह)	27000
5.	श्री मनीष कुमार	1500	06/22 से	21000

	सपुत्र केहर सिंह		07/23(14माह)	
6.	आरिफ सपुत्र गुलाम शबीर	1500	11/22 से 07/23(9माह)	13500
7.	श्री शंकर सपुत्र जय किशन	1500	05/22 से 07/23 (15माह)	22500
8.	श्री निर्मल सपुत्र मिलखी राम	1500	06/22 से 07/23(14माह)	21000
9.	श्री बिक्रम सिंह सपुत्र कुंज लाल	1500	06/22 से 07/23(14माह)	21000
10.	श्री चमन लाल सपुत्र मैहर सिंह	1500	04/22 से 07/23 (16माह)	24000
11.	श्री प्रेम कुमार सपुत्र तारा चंद	1500	05/22 से 07/23 (15माह)	22500
12.	श्री रविन्द्र कुमार सपुत्र प्रेम चंद	1500	06/22 से 07/23(14माह)	21000
13.	श्री प्रिथीपाल सपुत्र साधु राम	1500	01/23 से 07/23 (7माह)	10500
14.	श्रीमती सुमन पत्नी सूरज	1500	01/23 से 07/23 (7माह)	10500
15.	श्री भवानी दत्त सपुत्र चरणु	1500	11/22 से 07/23(9माह)	13500
16.	श्री तिलक राज सपुत्र जिगरी राम	1500	01/23 से 07/23 (7माह)	10500
17.	श्री दुर्गादास सपुत्र अर्थ सिंह	1500	02/23 से 07/23(6 माह)	9000
			कुल जोड़	**319500**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 89 दिनांक 10.07. 2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं 997 दिनांक 28.08.23 अनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त बकाया वसूली से **₹91500/-** की राशि की वसूली कर ली गई है जबकि बकाया **₹227500/-** की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी ।अत: शीघ्रअति शीघ्र वसूली करके पूर्ण अभिलेख सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथाभविष्य में इस प्रकार की त्रुटी से परिहार किया जाए।

14 . डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकर ण शुल्क के रूप में ₹85.78 लाख की कम वसूली :-

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचनानुसार नगर परिषद के अधिसूचित क्षेत्र के भवनों , दुकानों,कार्यालयों व बैंकों की संख्या व डोर-टू-डोर उपनियम 2018 में यूजर चार्जेज की दरों के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार शुल्क की अनुमानित वसूली **₹448650** प्रतिमाह x 24 माह **=**₹**10767600**(अवधि 04/21 से 03/23) बनती है, जिसमें से अंकेक्षण अवधि में **₹2189154/-** की वसूली की गई, इस प्रकार **₹8578446**(**₹10767600-₹2189154**) की कम वसूली की गई जो की अति गम्भीर मामला है।

विवरण	**संख्या**	**उप नियम द्वारा निर्धारित दर प्रतिमाह**	**कुल वसूली योग्य राशी**
घर	1420	100	142000
दुकान	219	100	21900
कार्यालय	20	250	5000
ढाबा	25	350	8750
होटल	119	2000	238000
शिक्षण संस्थान	10	1500	15000

वर्क शॉप	6	500	3000
हॉस्पिटल	10	1500	15000
		कुल मासिक जोड़	**448650**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 115 दिनांक 18.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं **1005**दिनांक **28.08.23** अनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया कि वर्तमान में निम्नलिखित विवरणानुसार भवनों , घर , दुकानों ,इत्यादि की संख्या है उस अनुसार कुल **₹373000 /-** मासिक बनता है इसमें से 50% निवासी ग्रीष्म काल में 2 या 3 महीने रहते है व कुल डोर से डोर कूड़े की कलेक्शन **₹1.80** लाख से **₹2.10 लाख** तक मासिक बनती है । उत्तर सन्तोषजनक नही है। क्यूंकि उक्त समय के सफाई व डोर से डोर कूड़ा एकत्रीकर ण हेतु ठेकेदार को भुगतान किया जाता है इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस सम्बन्ध में अंकेक्षण आपत्ति जताई गई थी तब इस प्रकार की स्थिति से अंकेक्षण को अवगत नहीं कर वाया गया था अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही व कमेटी गठित करके वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए व बकाया राशि को वसूलना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15. निर्माण -:

(क)निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटी के कारण सविंदाकार को ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना व अन्य अनियमितताएँ

कार्य का नाम	P/L local slate flooring & plastring kamla nehru park and steps middle bakrotha
सविंदाकार का नाम	Sh. ramuK junA
आवार्ड पत्र संख्या	864 dated 01.09.21
आवार्ड राशि	241348/-
बिल संख्या	1st and Final bill
वाउचर सं	21/11 fo01

उक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई

(i)उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमान (estimate) तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में कुल कार्य कि अनुमानित राशि की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी है।

(ii)अंकेक्षण में पाया कि माप पुस्तिका 17 के पृष्ठ 56 में मद संख्या 1 "P/L Local slate flooring in cement mortar 1:4 " की 145.22sqm के स्थान पर 149.22sqm दर्ज की गई थी एवं माप पुस्तिका 17 पृष्ठ 56 में अग्रेनित करके 4 sqm की अधिक मात्रा का ₹1550 प्रति sqm की दर से₹6200/- का अधिक भुगतान किया गया।

(iii)उक्त बिल वाउचर को सक्षम अधिकरी द्वारा पारित नहीं किया गया है जिसके अभाव में भुगतानकी सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी है।

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 102 दिनांक 14.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या : 1008/DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि (i) एस्टीमेट बनाया गया था (ii)उक्त अधिक भुगतान की ₹6200 की राशि की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से कर ली जाएगी (iii)सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भूल से नहीं किये गए जो अब करवा दिए गए व पूर्ण कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा , उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उपरोक्त कार्यवाही व वसूली करके शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(**ख**) **निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटिव गलत दर के कारण सविंदाकार को ₹0.71 लाख का अधिक भुगतान करना:-**

कार्य का नाम	Sitting area near gandhi chownk Dalhousie
सविंदाकार का नाम	seirtsudnI leets YAK RAA S/M
अवार्ड पत्र संख्या	996ated 08.11.19
अवार्ड राशि	शून्य
बिल संख्या	1st and Final bill
वाउचर सं	05 of 07/21

(i) अंकेक्षण में पाया कि माप पुस्तिका 15 के पृष्ठ 99 में मद संख्या 1 "steel work welded with built up section 50x50x5" की कुल मात्रा गलत गणना करने पर 2953.51kg के स्थान पर 2996 .41 kg दर्ज की गई थी एवं माप पुस्तिका 15पृष्ठ 100में अग्रेनित करके 42.90kg की अधिक मात्रा का ₹98.50 perkg की दर से ₹4226 /- व 30x30x5 की कुल मात्रा गलत गणना

करने पर 206.27 kg के स्थान पर 225.02kg दर्ज की गई थी एवं माप पुस्तिका 15पृष्ठ 100 में अग्रेनित करके 18.75 kg की अधिक मात्रा का ₹98.50perkg की दर से₹1847 /- कुल ₹1847+ ₹4226 =₹6073 का अधिक भुगतान किया गया।

(ii) माप पुस्तिका 15 के पृष्ठ 99 के मद संख्या :2 "P/F 60mm thick prepainted steel shed roofing" की मात्रा 78.62 sqm की दर ₹989/- प्रति sqm दर से ₹77755 के भुगतान के स्थान पर माप पुस्तिका 15 पृष्ठ 100 पर ₹1400 की दर से ₹110068/- का भुगतान किया गया है इस प्रकार ₹32313/- का अधिक भुगतान किया गया।

(iii) माप पुस्तिका 15 के पृष्ठ 99 के अतिरिक्त मद संख्या :3 "P/F ridge hip 60mm overall Prepainted steel" की मात्रा 53.95sqm की दर ₹383/- प्रति sqm(HPFR 2009 के आइटम कोड सं 14030000 अनुसार के स्थान पर (कुल ₹20663 के भुगतान के स्थान पर ₹650/-sqm की दर माप पुस्तिका 15 पृष्ठ 100 पर ₹32855/- का भुगतान किया गया है इस प्रकार कुल (i+ii+iii) ₹71241 /- का अधिक भुगतान किया गया।

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103 दिनांक 14.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रतिउत्तर मेंकार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या : 992 /DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उपरोक्त सविंदाकार के उक्त कार्य की जमानत राशि व अर्नेस्ट मनी नगर परिषद में जमा है व अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली, उसमें से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को दर्शा दी जाएगी । अतः दिए गए आश्वासन अनुसार वसूली को शीघ्र अति शीघ्र उचित स्त्रोत से करके , अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ग) निष्पादित कार्य की गलत दरों से भुगतान करने के कारण सविंदाकार को ₹0.21 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	R/M kathlag road phase-4 RD360-650
सविंदाकार का नाम	Sh. Anuj
आवार्ड पत्र संख्या	691Dated 10.08.20
आवार्ड राशि	शून्य
बिल संख्या	1st lanif & Running bill
वाउचर सं	शून्य 24.07.21

(i) अंकेक्षण में पाया कि माप पुस्तिका 16 के पृष्ठ 62 में मद संख्या " 1P/L heavy duty interlocking paver block" की कुल मात्रा गलत गणना करने पर 287.10 sqmके स्थान पर300.77sqm दर्ज की गई थी एवं माप पुस्तिका 16 पृष्ठ 63 में अग्रेनित करके 13.67sqmकी अधिकमात्रा का 1550 kg की दर से ₹21189/- का अधिक भुगतान किया गया।
उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 104 दिनांक 14.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या : 991 /DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि उपरोक्त सविंदाकार के उक्त कार्य की 'जमानत राशी' व 'अर्नेस्ट मनी' नगर परिषद में जमा है व अधिक भुगतान की राशी की वसूली उसमें से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को दर्शा दी जाएगी ।अतः दिए गए आश्वासन अनुसार उक्त वसूली को शीघ्र अति शीघ्र उचित स्त्रोत से करके , अनुपालना से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(घ)अनुचित रूप से ₹ 9.91के निर्माण कार्य का आबंटन करना

कार्य का नाम	R/M of Bakrotha road salant phase-2RD130-400
सविंदाकार का नाम	Sh. Pankaj Kapoor
आवार्ड पत्र संख्या	783 dated 04.09.21
आवार्ड राशि	शून्य
बिल संख्या	1st lanif & Running bill
वाउचर सं०	02 of 07/21
माप पुस्तिका संख्या	17 पृष्ठ 21-19

वाउचर संख्या : 02 माह 07/21 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के लिए उक्त संविदाकार को **₹991360/-** का भुगतान किया गया है उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित टेंडर फॉर्म की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु श्री पंकज कपूर व श्री अनुज कुमार द्वारा टेंडर फार्म में दरें भरी गई थी जबकि श्री कपिल खोसला द्वारा टेंडर फार्म परिशिष्ट "Shedule" में किसी भी मद की कोई भी दर नहीं दर्शाई गई थी जबकि तुलनात्मक विवरणी में

कपिल खोसला की दरें दर्शाई गई है जोकि अति गम्भीरमामला है जिससे स्पष्ट था कि तकनीकी शखा द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था।

उपरोक्त अनियमितताअंकेक्षण अधियाचना संख्या 112 दिनांक 17.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या : 994/DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि कपिल खोसला द्वारा भरी गई उक्त निर्माण कार्य की दरों की DNIT किसी अन्य वाउचर के साथ सलग्न कर दी गई है, जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजंक नहीं है यदि DNIT किसी अन्य वाउचर के साथ सलग्न थी तो उसकी प्रतिलिपि प्रत्युत्तर के साथ संलग्नक्यों नहीं की गई जिससे स्पष्ट है तकनीकी शखा द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ऐसाकिया गया इसके अतिरिक्त अब अभिलेख में भी अनुचित रूप से सुधार करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसकी उच्च स्तरीय विभागीय जाँच करवाई जाए। अत: मामले की निदेशक, कार्यालय स्तर पर विभागीय जाँच करके, की गई पूर्ण कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 . अनुचित रूप सेनिर्माण कार्यों को अवार्ड करना :-

अंकेक्षण के दौरान माह 07/21 में भुगतान किये गए निर्माण कार्यों के अवार्ड पत्रों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के अवार्ड पत्रों में कोई अवार्ड राशियाँ नहीं दर्शाई गई है इननिर्माण कार्यों की न्यायोचित दरे भी नहीं बनाई गई थी, अंकेक्षण द्वारा इस बात की जाँच नहीं की जा सकी कि कौन से निर्माण कार्यों के टेंडर ऑनलाइन व किस कार्य को ऑफलाइन आमंत्रित करने थे क्योंकिइन निर्माण कार्यों के टेंडर आमंत्रित करने सम्बन्ध में दिए गए अख़बार में विज्ञापन से सम्बन्धित अभिलेख भी आवश्यक जाँच में प्रस्तुत नहीं किया गया । उक्त के अभाव में अंकेक्षण द्वारा स्वीकृत राशी की तुलना में आबंटित राशि की जाँच /सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सका। इस प्रकार मामला अति ही गम्भीर स्तर का है।

कार्य का नाम	**अवार्ड पत्र संख्या**	**ठेकेदार का नाम**	**माप पुस्तिका**	**सकल भुगतान**
R/M of Bakrotha road salant phase-2RD130-400	783 DT. 04.09.20	Sh. Pankaj Kapoor	17 page 19-21	991360

R/M of Bakrotha road salant RD400-600	787 dt. 04.09.20	Sh. Pankaj Kapoor	17 page 21-23	751228
P/L C.C Tiles kohli lahom eisuohlad daor lahem jar	696 dt. 10.08.20	m/s Rajinder electrical works	12egaP15 13-	194468
M/Rof sadar bajar road plah house to mandir phase-1	694dt.10.08.20	Vikas verma	16 page 94-95	658161
R/M of Sadar Bajar road Lakshmi Narayan mandir to subhash house	786 DT. 04.09.20	-Do-	16 page 98-99	573952
R/M of Sadar Bajar road Rakesh house to Kohli house	784 dt. 04.09.20	-do-	17 page 1-3	1098861
R/M of Sadar Bajar road Sanjeev house to Beldev house	785 dt. 04.09.20	-do-	17 page 3-5	544918
R/M of Sadar Bajar road plah house to Mandir phase-2	693dt.10.08.20	Anuj	16 page 96-97	464599
P/F angal iron railing ward-3	688 dt.10.08.20	Anuj	16 page 88-90	384637
R/M kathlog road phase-4 RD 360-650	691 dt.10.08.20	Anuj	16 page 61-63	1100728
C/O Ramp near kocher house	687 dt.10.08.20	Anuj	17 page 13-15	182234

C/O path from kocher house to Ajay house	686 dt.10.08.20	Anuj	16 page 70-72	382752

उपरोक्त गम्भीरअनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109 दिनांक 17.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या: 1001 /DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि इस प्रकार के अवार्ड पत्र अब 04/22 से जारी किये जा रहे है भविष्य में अंकेक्षण की अनुपालना की जाएगी , उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि उक्त मामले में निदेशक स्तर पर जाँच करवाई जाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करके, दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 नियमानुसार निर्माण कार्य में ठेकेदारों के बिलों से ₹1.03 लाख रॉयल्टी की वसूली न करने बारे:-

उद्योगविभाग (भू-विज्ञानअनुभाग (केपत्रसंख्या :5-49/79 Ind(Glg)Rules-2015-Vol-IV-1175दिनांक12.05.2015केअनुसारविभिन्ननिर्माणसामग्रीजैसेपत्थर ,रेत , बजरी,चूना,संगमरमरइत्यादिकेखननपरनिर्धारितदरोंकेअनुसाररॉयल्टीवसूलीजानीअपेक्षितथी । नगरपरिषदमेंअंकेक्षणअवधिमेंकरवाएगएविभिन्ननिर्माणकार्योंमेंप्रयोगनिर्माणसामग्रीकेएवजमेंसरकारकोभुगतानकीगयीरॉयल्टीकेसमर्थनमेंविहितप्रपत्रप्रस्तुतकियाजानाअपेक्षितथाअन्यथानिर्माणकार्यबिलोंसेनियमानुसारनिर्धारितदरसे " एमफॉर्म " पररॉयल्टीकीकटौतीकरकेहिमाचलप्रदेशसरकारीकेआयलेखाशीर्षक " : 0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical industries, 102-Mineral concession fees and royalities, 81- other receipts" मेंजमाकरनाअपेक्षितथा ।लेकिनअंकेक्षणकेदौरानपायागयाकिनगरपरिषदद्वाराकोईभीकार्यवाहीअमलमेंनहींलाईगईथी । फलस्वरूपनिम्नविवरणानुसारनिर्माणकार्योंकेसंविदाकारोंकेबिलोंसेरॉयल्टीकीकटौतीनकरकेसरकारीकोर₹103445कीआयकीहानिहुईहै । यहप्रकरणअंकेक्षणअधियाचनासंख्या:110 दिनांक17

.08.23केमाध्यमसेनगरपरिषदकेध्यानार्थलायागयाथाजिसकेप्रत्युतरमेंपत्रसंख्या: 1002 दिनांक28.08.23केमाध्यमसेअवगतकरवायाहैकिअंकेक्षणमेंलगाईंगईआपतिपरअनुपालनाकरकेअगलेअंकेक्षणमेंदर्शादीजायेगी ,उतरसंतोषजनकनहींहै । अतःउक्तरॉयल्टीकीकटौतीसम्बन्धितसंविदाकारोंकेनिर्माणबिलोंसेनकरनेकाऔचित्यस्पष्टकियाजाए वउक्तराशिकीवसूलीसम्बन्धितसंविदाकारोंकेनिर्माणबिलोंसेकरनेउपरांतहिमाचलप्रदेशसरकारीके आयलेखाशीर्षक ": 0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical industries, 102-Mineral concession fees and royalities, 81- other receipts" मेंजमाकरवाईजानीसुनिश्चितकीजाएवअनुपालनासेइसविभागकोअवगतकरवायाजाए । इसके अतिरिक्त यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि सम्बन्धित लेखा शीर्ष में राशि जमा न करवाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग यदि कोई दण्ड ब्याज/ शुल्क लगाता है तो ऐसी स्थिति में दण्ड राशि का दायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का निजी व स्वयं का होगा।

कार्यकानाम / योजना	मापपुस्तिका	निष्पादितमद	मदकीमात्रा	प्रयोगकीगईरेत/पत्थर	फैक्टर 1.62/ 2.24	मात्रा (मीट्रिकटन)	रॉयल्टीकीदर (प्रतिमीट्रिकटन)	राशि	प्रयोगकीगईबजरी	फैक्टर (1.52)	मात्रा (मीट्रिकटन)	रॉयल्टीकी दर (प्रतिमीट्रिकटन)	राशि	कुलराशि
P/L Local slate flooring kamla Nehru park middle bakrotha	**17**	**15 mm plaster(1:6)**	**44.70 m^2**	**1.02m^3**										**0**
		Local slate(1:4)	**149.22 m^2**	**5.96m^3**										
			Total	**6.98 m^3**	**1.62**	**11.30**	**60**	**678**						**678**
paver from bus stand to xen IPH phase-2	**17**	**Paver block**	**167.50 m^2**	**4.19m^3**					**-**					**0**
		P/l cc 1:2:4	**8.75m^3**	**3.85m^3**					**7.79 m^3**					
			Total	**8.04 m^3**	**1.62**	**13.02**	**60**	**781**	**7.79 m^3**	**1.52**	**11.84**	**60**	**710**	**1491**
P/L c.c paver block kathlog road RD 727-830	**19**	**P/l cc 1:2:4**	**10.22 m^3**	**4.50m^3**					**9.09m^3**					**0**
		P/l cc 1:5:10	**31.25 m^3**	**13.75m^3**					**27.81m^3**					
		Paver block	**234.43m3**	**5.86 m^3**					**---**					
			Total	**24.11m3**	**1.62**	**39.05**	**60**	**2343**	**36.90 m^3**	**1.52**	**56.08**	**60**	**3365**	**5708**
R/M of bakrotha road salant phase-2 RD130-400	**17**	**P/l cc 1:2:4**	**49.63m^3**	**21.83 m^3**					**44.17m^3**			**60**		**0**
		Paver block	**541.54 m^2**	**13.53 m^3**					**----**					
			Total	**35.36m^3**	**1.62**	**57.28**	**60**	**3437**	**44.17 m^3**	**1.52**	**67.14**	**60**	**4028**	**7465**
R/M of bakrotha road salant phase-2 RD400-600	**17**	**P/l cc 1:2:4**	**54.22m^3**	**23.85 m^3**					**48.25M^3**					**0**
		Paver block	**336.38 m^2**	**8.40 m^3**					**----**					
			Total	**32.25 m^3**	**1.62**	**52.24**	**60**	**3135**	**48.25 m^3**	**1.52**	**73.34**	**60**	**4400**	**7535**
Supply of material	**18**	**Sand**	**---**	**73.62 m^3**					**---**					**0**
		Agg	**---**						**141.22**					

			Total	**73.62 m^3**	**1.62**	**119.26**	**60**	**7156**	**141.22 m^3**	**1.52**	**214.65**	**60**	**12879**	**20035**
Refixing of railing c/o drain from NT mall road towards MC office	**19**	**P/l cc 1:2:4**	**15.59m^3**	**6.85 m^3**					**13.87**					**0**
			Total	**6.85 m^3**	**1.62**	**11.09**	**60**	**666**	**13.87 m^3**	**1.52**	**21.08**	**60**	**1265**	**1931**
R/M of road NT mall towards MC office 0-150	**19**	**P/l cc 1:5:10**	**17.99m^3**	**8.45 m^3**					**16.01m^3**					**0**
		P/l cc 1:2:4	**38.25m^3**	**16.83m3**					**34.04**					
			Total	**25.28 m^3**	**1.62**	**40.95**	**60**	**2457**	**50.05m^3**	**1.52**	**76.07**	**60**	**4565**	**7022**
P/L C.C tiles w kohli mohal raj mehal road	**15**	**P/l cc 1:6:12**	**8.50 m^3**	**4.00 m^3**					**7.56m3**					**0**
		Tiles work	**155.66 m^3**	**3.89m^3**					**----**					
			Total	**7.89 m^3**	**1.62**	**12.78**	**60**	**767**	**7.56m^3**	**1.52**	**11.49**	**60**	**689**	**1456**
R/M sadar bajar road from plah house to mandir phase-1	**16**	**P/l cc 1:6:12**	**39.98 m^3**	**18.79m^3**					**35.58m^3**					**0**
		P/l cc 1:2:4	**6.99m^3**	**3.07 m^3**					**6.22m^3**					
		Paver block	**322.98m2**	**8.07 m3**					**----**					
			Total	**29.93 m^3**	**1.62**	**48.48**	**60**	**2909**	**41.80 m^3**	**1.52**	**63.53**	**60**	**3812**	**6721**
C//M sadar bajar road from plmandir to subhash house phase-1	**16**	**P/l cc 1:6:12**	**18.40m^3**	**8.65m^3**					**16.37**					
		P/l cc 1:2:4	**6.38m^3**	**3.00m^3**					**5.68**					
		Paver block	**317.59m2**	**7.94 m3**					**----**					
			Total	**19.59 m^3**	**1.62**	**31.73**	**60**	**1904**	**22.05 m^3**	**1.52**	**33.51**	**60**	**2011**	**3915**
P //M sadar bajar road from rakesh hshop to	**17**	**P/l cc 1:6:12**	**36.16 m^3**	**16.99m^3**					**32.18m3**					**0**
		P/l cc 1:2:4	**11.62m^3**	**5.46m^3**					**10.34m3**					
		Paver block	**614.27m2**	**15.35 m3**					**----**					

kohli house			**Total**	**37.80 m^3**	**1.62**	**61.23**	**60**	**3674**	**42.52m^3**	**1.52**	**64.63**	**60**	**3878**	**7552**
P //M sadar bajar road from sanjeev house to baldev house	**17**	**P/l cc 1:6:12**	**18.26 m^3**	**8.58m^3**					**16.25m3**					**0**
		P/l cc 1:2:4	**8.44m^3**	**3.96m^3**					**7.51m3**					
		Paver block	**292.81m2**	**7.32 m3**					**----**					
			Total	**19.86m^3**	**1.62**	**32.17**	**60**	**1930**	**23.76m^3**	**1.52**	**36.11**	**60**	**2167**	**4097**
/M sadar bajar road from plah house to mandir phase-2	**16**	**P/l cc 1:2:4**	**7.29m^3**	**3.42 m^3**					**6.49m^3**					**0**
		Paver block	**281.31m2**	**7.03 m3**					**----**					
			Total	**10.45 m^3**	**1.62**	**16.92**	**60**	**1015**	**6.49 m^3**	**1.52**	**9.86**	**60**	**592**	**1607**
R/P/F of angal iron railing ward-3	**16**	**P/l cc 1:2:4**	**7.22 m^3**	**3.39 m^3**	**1.62**	**5.49**	**60**	**329**	**6.42m^3**	**1.52**	**9.75**	**60**	**585**	**914**
C/R/M kathlog road phase-4	**16**	**P/l cc 1:2:4**	**85.33 m^3**	**40.10 m^3**					**75.94m^3**					**0**
		Paver block	**287.10m2**	**7.17**					**----**					
			Total	**47.27**	**1.62**	**76.57**	**60**	**4594**	**75.94**	**1.52**	**115.42**	**60**	**6925**	**11519**
C/ C/O of ramp near kocher house	**17**	**P/l cc 1:4:8**	**12.46 m^3**	**5.85 m^3**					**11.08 m^3**					**0**
		P/l cc 1:2 :4	**11.38 m^3**	**5.35 m^3**					**10.12m^3**					
			Total	**11.20 m^3**	**1.62**	**18.14**	**60**	**1088**	**21.20 m^3**	**1.52**	**32.22**	**60**	**1933**	**3021**
													Total	**92667**

18 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों/दुकानदारों से वसूल ₹240.86 लाखकी धरोहर राशिदिनांक 31.03.23 को वापिसी हेतु शेष :-

दिनांक 31-03-23 तक विभिन्न कार्यों हेतु ठेकेदार से वसूल की गई धरोहर ₹24085991/- वापिसी हेतु शेष थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ट"** पर दिया गया है। Limitation act के अनुसार 3 वर्ष से पुरानी धरोहर राशियोंको कालातीत समझा जायेगा और ठेकेदारों द्वारा यदि कार्य पूर्ण करने के 3 वर्ष के भीतर अपनी धरोहर राशि वापिस लेने हेतु को प्रार्थना नहीं की जाती है तो उसकी धरोहर राशि को Limitation एक्ट केअनुसार जब्त किया जा सकता है। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि 3 वर्ष पुरानी धरोहर राशियों का पता लगाकर उन्हें जब्त करके अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 ओरगेनिकवेस्ट कन्वर्टर की खरीद हेतु अनियमित रूप से वॉरंटी अवधि को कम करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या 2 माह 11/22 व 01 माह 01/23 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹2495000 का भुगतान ओरगेनिक वेस्ट कन्वर्टर की खरीद हेतु मै० जे.जे. वेस्ट सल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बुद्ध नगर (यु.पी.) को उनके बिल संख्या : gem/2022/B/2384036 dt. 26.07.22 हेतु किया गया। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा उक्त मशीन का मूल्य gem पर ₹2890000(5 साल वॉरंटी के साथ) निर्धारित किया गया था जबकि कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या: 1155 दिनांक 13.10.22 अनुसार उक्त मशीन को ₹2495000(एक साल की वारेंटी के साथ)आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया जो की अनुचित था। पांच साल के स्थान पर एक साल वारेंटी अवधि कम करने व ₹2890000 के स्थान पर ₹2495000 मशीन का मूल्य कम करने का माप दंड/ आधार से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया इसके अतिरिक्त यदि भविष्य मैं एक साल बाद मशीन खराब होती है तो नगर परिषद को मुरम्मत पर भारी राशी का भुगतान करना पड़ सकता है जो की अनियमित होगा। नगर परिषद यदि₹395000 का भुगतान अपने स्त्रोतों से कर देती तो एक साल के स्थान पर पांच साल कीवॉरंटीप्राप्त की जा सकती थी व अन्य चार साल में यदि भविष्य मशीन की मुरम्मत कार्य करवाना पड़ता तो मुरम्मत व्यय से बचा जा सकता है।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 113 दिनांक 17.08.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया व उनके प्रत्युत्तर सं० 1004/DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा

अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति ठीक नही है व इस मशीन की खरीद हेतु केवल ₹25लाख स्वीकृत थे तो इस कारण उक्त खरीद की गई उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि₹2890000 के स्थान पर ₹2495000 कम करने का मापदंड / आधार क्या था जिसके आधार पर वॉरंटीकम की गई ,का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु 15% एजेंसी छूट न प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप ₹0.04 लाख की हानि बारे :-

DAVP सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छुट लेने हेतु योग्य है अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के वाउचर संख्या 24 माह 10/22 की जांच करने पर पाया गया की नगर निगम द्वारा जो विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरो पर किया गया उन पर 15 % की छूट प्राप्त नही की गयी जिस कारण नगर परिषद को निम्नविवरणानुसार ₹4371/-की हानि हुई। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

Name of news paper	Total Area (insqcm)	Rate per sqcm	Amit paid	Rate after discount	Amt.was to be paid	Loss (difference)
Divya Himachal	156	30.80	4805	26.18	4084	961
-Do-	109.92	30.80	3386	26.18	2878	508
-Do-	109.92	30.80	3386	26.18	2878	508
-Do-	180	30.80	5544	26.18	4712	832
-Do-	120	30.80	3696	26.18	3142	554
Amar ujala	180	25.85	4653	21.97	3955	698
Amar ujala	80	25.85	2068	21.97	1758	310
					Total	**4371**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या **:105 दिनांक 14.08.23** द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं 1004/DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विज्ञापनों को DAVP दरों पर विज्ञापित किया गया है व

भविष्य में विज्ञापन पर 15% छूट के बाद ही भुगतान किया जायेगा। अत: अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 (क)स्थापना पर ₹278.06 लाख का अनियमित व्यय

नगरपरिषद् अधिनियम-1994 के अनुछेद 53 (1) के अनुसार स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग के बराबर राशि खर्च की जा सकती है जबकि अंकेक्षण में पाया गया कि अकेक्षण अवधि 01.04.21 से 31.03.2 3तक के दौरान स्थापना पर अनियमित रूप से ₹27806106अधिक व्यय किया गयाथा जिसका विवरण**परिशिष्ट –"ठ"**परदिया गया है। अत: स्थापना पर नियमो में निर्धारित मापदण्ड से अधिक ₹27806106/- व्यय करने का या तो पूर्णऔचित्य स्पष्ट किया जाएअन्यथा वर्णित अधिक व्यय को सक्षमअधिकारी सेकार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाकर अनुपालना से अकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमों में विहित प्रावधानों के अनुसार ही स्थापना पर व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अनियमित रूप से बैंक से ऋण लेने व वापिस करने पर ₹1.11 लाख ब्याज का अनियमित भुगतान करना :-

नगर पालिका अधिनियम1994 की धारा 53 (C) के अनुसार कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु ऋण लिया जा सकता है परन्तु स्थापना पर व्यय 1/3 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए।

"such sum as may be required to meet the establishment charges and the salary, allowances, provident fund and gratuity of the members of the municipal services and other municipal employees including such subscriptions and contributions as are referred to in the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (11 of 1994): Provided that the total expenditure on establishment shall not exceed one third of the total expenditure of the municipality".

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार `₹45 लाख का ऋण कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य कोपरेटिव बैंक से लिया गया जबकि नगर परिषद का स्थापना पर व्यय भाग 1/3 से अधिक था व इस ऋण की राशि वापिस करने पर `₹1.11 लाख का ब्याज निम्नानुसार अनियमित भुगतान किया गया जोकि आपतिजनक है।

ऋण की राशि	ऋण लेने की दिनांक	ब्याज का भुगतान	वाउचर सं जिनके द्वारा ब्याज भुगतान किया गया
4500000	01.11.21	111304	36, 2022/03

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 90 दिनांक 14.07.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या : 993 /DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया कि ऋण की राशि हेतु नगर परिषद की बैठक प्रस्ताव सं . 29 (13) दिनांक 13.12.21 में पारित कर लिया था व ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में अगली बैठक में प्रस्ताव पारित करलिया जायेगा व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शा दी जाएगी।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 15 में भी इस प्रकार की आपत्ति जताई गई थी । अतः उक्त अनियमित व्यय की कार्योतर स्वीकृति सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारिणी से प्राप्त कर उक्त अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर व चिन्ताजनक हो रही है, मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है जिसके लिए नगर परिषद की आय की बढ़ौतरी हेतु उचित व ठोस कदम उठाए जाएँ व वसूली योग्य शेष राशियों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ऋण लेने की आवश्यकता न हो तथा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके ।

(ग) श्री राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक के वेतन का गलत निर्धारण के कारण ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान उक्त कर्मचारी की सेवापुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 01.06.20 को कनिष्ठ सहायक के पद पर प्लेसमेंट पर नियम 2009 के अनुसार लेवल-7 सेल -9 पर निर्धारण न करके लेवल -4 सेल -21 में वेतन का गलत निर्धारण करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित विवरणानुसार ₹19698/- का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनुचित था।

DRAWN					DUE			
Period	**month**	**Basic pay**	**DA 34%**	**TOTAL**	**Basic pay**	**DA 34%**	**TOTAL**	**Excess**
01.01.22 to 31.05.22	5	38400	13056	257280	37700	12818	252590	4690
01.06.22 to 31.05.23	12	39600	13464	636768	38800	13192	623904	12864
01.06.23to 31.07.23	2	40800	13872	109344	40000	13600	107200	2144
				1003392			**983694**	**19698**

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 116 दिनांक 18.08.2021 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं 996/DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अधिक भुगतान की गई राशि को सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से वसूल कर लिया जायेगा ।अत: अधिक भुगतान की गई ₹19698 की राशि को सम्बन्धित से शीघ्र वसूल कर परिषद निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

22. यात्राहेतु टेक्सी किराये रूप में ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान :-

व्यय के चयनित माह जुलाई , 2021के व्यय बिलों की जांच करने पर पाया गया कि श्रीमती रीना कुमारी माननीय अध्यक्षा नगर परिषद डलहौजी व श्री तिलकराज श्री अजय चौहान पार्षद व श्री कर्म चंद श्री राजिन्द्र कर्मचारी नगर परिषद डलहौजी ने AIILSG नई दिल्ली द्वारा आयोजित Integrated Senitization Programme में भाग लेने हेतु डलहौजी से जयपुर से पुष्कर राजस्थान तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु यात्रा की है । उक्त यात्रा हेतु श्री कर्म चंद कनिष्ठ सहायक को ₹30000/- की अग्रिम राशी वाउचर संख्या 1 माह 09/19 द्वारा भुगतान की गई व वाउचर में

निम्नलिखित भुगतान दर्शाए गए थे व समायोजन वाउचर संख्य:01 माह 07/21 द्वारा श्री कर्म चंद को ₹24064भुगतान किया गया जिसमे निम्नलिखित अनियमितता पाई गई ।

विवरण	भुगतान राशि
डलहौजी से अमृतसर टेक्सी फेयर	6000
अमृतसर से जयपुर टेक्सी फेयर	19500
जयपुर से अमृतसर टेक्सी फेयर	19500
अमृतसर से डलहौजी टेक्सी फेयर	6000
यात्राभत्ता बिल	3064
कुल जोड़	**54064**

(i) उक्त भुगतान कुल ₹51000 के टैक्सी फेयर के बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी जोकि अनुचित था ।

(ii)हि० प्र० सरकार के वित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या:फिन (सी0) (7) -7/2006 दिनांक 22.08.2016 के अनुसार पार्षदों को की गयी यात्रा हेतु अपनी कार / टैक्सी का ₹8 प्रति किलोमीटर की दर से ही देय है व डलहौजी से जयपुर की दुरी 850 km एक तरफा कुल ₹1700X 8 =₹13600+ ₹3064TA बिल कुल₹16664 का भुगतान अपेक्षित था जबकि ₹54064 का भुगतान किया गया जो उचित नहीं था इस प्रकार₹37400/- का अधिक भुगतान किया गया ।जोकि अनुचित था।

(iii) HPFR 2009 की धारा189(3) के अनुसार अग्रिम राशि को जारी करने व उसके उद्देश्य पुरे होने के 15 दिन के भीतर अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना अपेक्षित है जबकि उक्त अग्रिम राशियों को 18 माह बाद समायोजित करवाया गया जोकि अनुचित था।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 114 दिनांक 17.08.2021 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं 995 /DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा उत्तर सन्तोषजनक नही है ।अत: औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई ₹37400/- की राशी की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

23. निविदाओं के आधार पर खरीद न करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्त नियमावली 2009 की धारा 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक की खरीद निविदा के आधार पर करना अपेक्षित है ।अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित सामान की खरीद/ या कार्य निविदा के आधार पर नहीं की गई है जिसके अभाव में भुगतान की दरों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि अनियमित था।

वाउचर संख्या	दिनांक	फर्म का नाम	सामान / कार्य	राशि	निधि का नाम
28	15.07.21	श्री अमर दीप शर्मा दिल्ली	मेंटेनेंस ऑफ़ डंपिंग साईट	32900	मुख्य निधि
3	15.07.21	शुभम नागर	क्लेरन्स ऑफ़ नाला	22275	मुख्य निधि
21	22.10.21	संजीव कुमार	JCB Hire	13187	मुख्य निधि
28	22.10.21	गुलाबोमल मोहन लाल	स्पेड्स	5120	मुख्य निधि
33	22.10.21	मै० डी. एस. मशीन टूल्स	बेलिंग मशीन की मुरम्मत	41300	मुख्य निधि

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 117 दिनांक 19.08.23 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या: 1006 दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त खरीद को निविदा के आधार पर करवाया गया है जो की आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी उत्तर संतोषजनक नहीं है ।अत: अंकेक्षण के दौरान निविदाओं को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निविदाओ को आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया।

24. हिमाचल प्रदेश वन निगम को 1035 पेड़ो की आपूर्ति के एवज में ₹29.40 लाख प्राप्त न करना:-

अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष **2012-13 में 3 भागो में कुल** 1035 पेड़ क्रमशः lot no.1=183 पेड़ lot no 2=440 पेड़ lot no 3 =412 पेड़की आपूर्तिहिमाचल प्रदेश वन निगम को की गयी थी लकिन इसकी एवज में नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट –"ड"** पर वर्णित विवरणानुसार देय शेष

₹2939968/- नहीं की गई थी। गत अकेक्षण प्रतिवेदन04/2019 से 03/21 के पैरा सख्या 20 में भी इसका उल्लेख किया गया था लेकिन दिनांक31.3.23 तक यह राशि प्राप्त नही की गयी थी। यह एक गम्भीर वितीय अनियमिता है। अत: यह प्रकरण पुनः नगर परिषद के ध्यानार्थ इस आशय ले लाया जाता है कि ₹2939968/- की शीघ्र प्राप्ति हेतुठोस प्रयास किए जाए तथा अनुपालना से अकेक्षण की अवगत करवाया जाए।

25. श्री मदन लाल ड्राईवर को जारी ₹0.48 लाख के अग्रिम राशी का अनुचित रूप से समायोजित करना :-

वाउचर संख्या 24 दिंनाक 12.07.21 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री मदन लाल ड्राईवर को **₹6000** की राशी जारी की गई थी जिसका समायोजन वाउचर संख्या 35 माह 08/21 द्वारा कर उनको **₹23555/-** का भुगतान किया गया था अंकेक्षण द्वारा विस्तृत रूप से जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को निम्नलिखितविवरणानुसारउक्त अग्रिम के अतिरिक्त कुल राशियों को जारी किया गया था।

अग्रिम राशियाँ -:

वाउचर संख्या/माह	**अग्रिम राशि**
08 माह 02/20	7000
18 माह 06/20	7000
08 माह 10/20	10000
01 माह 02/21	10000
13 माह 03 /21	8000
24 माह 07/21	6000
कुल जोड़	**48000**

उक्त अग्रिम राशियों के समायोजन पर कुल ₹71555 के बिल प्रस्तुत किये गए जिस में निम्नलिखित गंभीर अनियमितताएं पाई गई।

(i) 2009 की धारा 189(3) के अनुसार अग्रिम राशि को जारी करने व उसके उद्देश्य पुरे होने के 15 दिन के भीतर अग्रिम राशियों का समायोजन किया जाना अपेक्षित है जबकि उक्त अग्रिम राशियों को 18 माह बाद समायोजित करवाया गया जोकि अनुचित था।

(ii) समायोजन हेतु प्रस्तुत मै० हिप्र ऑटोकेड शिमला के बिल संख्या 6728 दिनांक 03.10.20 द्वारा 33 लिटर पेट्रोल 79.62 की दर से ₹2627/- का भुगतान वाहन संख्या HP-47 -3812हेतु

किया गया था जबकि लोग बुक में कोई भी प्रविष्टि नही की गई थी जोकि अनुचित था ।अत: उचित स्त्रोत से वसूली की जाए।

(iii) सहायक अभियन्ता मेकेनिकल लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 26.03.15 द्वारा उक्त वाहन की औसत 12 km प्रति लिटर निर्धारित की गई थी परन्तु 04/18 से 03/23 तक उक्त वाहन की औसत नहीं निकाली गई जो की अनुचित एवं गम्भीर मामला है ।अत: उक्त गाड़ी की औसत निकाली जाए व 12 km से कम की स्थिति में उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाए। उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 107 दिनांक 14.08.2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया व उनके प्रतिउत्तर सं 999/DMC दिनांक 28.08.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उचित स्त्रोत से ₹2627/- की वसूली उपरांत अन्य आपत्तियों पर कार्यवाही कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26. ₹1.33 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.23 तक कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु स्वीकृत अग्रिमो में से ₹133000 /-समायोजन हेतु शेष थे जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट-"ढ"** में दिया गया है। अत:परामर्श दिया जाता है कि इन अग्रिम राशियों का समायोजन नियमानुसारशीघ्र सुनिश्चित करके सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

27. स्टोर /स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा सहिंता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी)में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर/स्टॉक में पड़ी मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद डलहौजी द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जो की वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना है। अत: नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक लेखों में किसी भी दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

28. महत्व पूर्ण अभिलेखों / रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अवधि .01.04.21 से 31.03.23 तक विभिन्न अभिलेखों / रजिस्टरों का रख –रखाब नही किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) गृह कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर

(ii) तहबाजारी वसूली रजिस्टर

(iii) मोबाईल टावरों के नवीनीकरण शुल्क का मांग व प्राप्ति रजिस्टर

(iv) स्टाफ अग्रिम रजिस्टर

(v) सफाई ठेका कार्य से सम्बन्धित अभिलेख

(vi) दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर

यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है अतः उपर्युक्त वर्णित रजिस्टरों का रख-रखा व न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब जिम्मेवारी निर्धारित करके इन रजिस्टरों का रख-रखा व किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

29. लघु आपत्ति विवरणी :- यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई थी अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर निपटारा कर लिया गया था।

30 निष्कर्ष :-लेखों के रख-रखाव में अत्यन्त सुधार एवं कड़े नि रीक्षण व लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवयश्कता है।

हस्ता / –
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2626670

पृष्ठांकन संख्याःV(15)फिन(एल0ए0डी0) खण्ड–6-9290-9291दिनांक 08.12.2023ः शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / –
(अनिल कुमार मेहरा)
उपनिदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2626670

परिशिष्ट –"क" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1961 से 03/1962

क्रम सं	**पैरा सं**	**पैरे की स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	14(1)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1965 से 03/1966

क्रम सं	**पैरा सं**	**पैरे की स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	12	अनिर्णीत	

(ग)**अंकेक्षण अवधि 04/1975 से 03/1980 :-**

1.	15 (ii)	अनिर्णीत	
2.	19 (14)	अनिर्णीत	

(घ)**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1992 :-**

1.	8(ख)	अंशत: अनिर्णीत	
2.	9(क)	अनिर्णीत	
3.	9(ख)	अनिर्णीत	
4.	9(ग)	अनिर्णीत	

(ड.)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1992 से 03/2002 :-

1.	9(5)	अनिर्णीत	
2.	9(15)	अनिर्णीत	
3.	11(1)	अनिर्णीत	
4.	11(3)	अनिर्णीत	
5.	12(3)1	अनिर्णीत	
6.	13(1)	अनिर्णित	
7.	13(3)	अनिर्णीत	
8.	13(4)	अनिर्णीत	
9.	14	अनिर्णीत	

(च)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 03/2007 :-

1.	2(iv)	अनिर्णीत	
2.	5(III)	अनिर्णीत	
3.	5(xiv)	अनिर्णीत	
4	5(xvi)	अनिर्णित	
5	5(xix)	अनिर्णित	
6	6(v)	अनिर्णीत	
7	6(vii)	अनिर्णित	
8	7(i)	अनिर्णीत	
9	7(ii)	अनिर्णीत	
10	7(iii)	अनिर्णीत	
11.	7(iv)	अनिर्णीत	
12.	8(i)	अनिर्णीत	
13.	8(iii)क	अनिर्णीत	
14	8(iii)ख	अनिर्णीत	

(छ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010 :-

1.	4.4	अनिर्णित	
2.	4.6	अनिर्णीत	
3.	4.7	अनिर्णीत	
4 .	4.12	अनिर्णीत	
5.	4.13	अनिर्णीत	
6.	4.15	अनिर्णीत	
7.	4.17	अनिर्णीत	
8	5.2	अनिर्णीत	
9.	6	अनिर्णीत	
10.	6.2	अनिर्णीत	
11	6.3	अनिर्णीत	
12.	6.4	अनिर्णित	
13	6.5	अनिर्णित	
14	6.6	अनिर्णित	
15	6.9	अनिर्णित	
16	6.10	अनिर्णित	
17	6.12	अनिर्णित	
18	6.15	अनिर्णित	
19	6.16	अनिर्णित	
20	6.17	अनिर्णित	
21	6.18	अनिर्णित	
22	6.19	अनिर्णित	
23	6.20	अनिर्णित	
24	6.21	अनिर्णित	
25	6.22	अनिर्णित	
26	6.23	अनिर्णित	

27	6.24	अनिर्णित	
28	6.27	अनिर्णित	
29	6.30	अनिर्णित	
30	7	अनिर्णित	
31	7.1 से 7.9 तक	अनिर्णित	
32	8	अनिर्णित	
33	8.1 से 8.2 तक	अनिर्णित	
34	8.4	अनिर्णित	

(ज)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2012 :-

1.	8(4) (III)	अनिर्णित	
2.	14(5)	अनिर्णीत	
3.	14 (6)	अनिर्णीत	
4.	14(7)	अनिर्णीत	
5 .	14(9)	अनिर्णीत	
6.	14(11)(II)	अनिर्णीत	
7.	14(12)(I)	अनिर्णीत	
8.	14(12)(2)	अनिर्णीत	
9	14(12)(3)	अनिर्णीत	
10	14(13)(1)	अनिर्णीत	
11	14(13)(3)	अनिर्णीत	
12	14(13)(5)	अनिर्णीत	
13	18(3)	अनिर्णीत	
14	18(4)	अनिर्णीत	

(झ)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2014 :-

1.	6(2)	अनिर्णीत	
2.	6(4)	अनिर्णीत	

3.	7	अनिर्णीत	
4.	10.1	अनिर्णीत	
5.	10.2	अनिर्णित	
6.	11.1	अनिर्णीत	
7.	14	अनिर्णीत	
8.	15.1	अनिर्णीत	
9.	17 (I)	अनिर्णीत	
10.	17(II)	अनिर्णीत	
11.	17(II)क	अनिर्णीत	
12	17(II)ख	अनिर्णीत	
13	17(III)	अनिर्णीत	
14	22	अनिर्णीत	
15	22.1	अनिर्णीत	
16	22.2	अनिर्णीत	
17	23.1	अनिर्णीत	
18	26.1	अनिर्णीत	

(ज)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 :-

1.	4(क)ii	अनिर्णीत	
2.	5(ख)	अनिर्णीत	
3.	6(ख)	अनिर्णित	
4.	6(ग)	अनिर्णीत	
5.	11	अनिर्णीत	
6.	13	अनिर्णीत	
7.	14(ख)	अनिर्णीत	
8.	14(ग)	अनिर्णीत	
9.	14(घ)	अनिर्णीत	

10.	16	अनिर्णीत	
11.	17	अनिर्णीत	
12.	18(क)	अनिर्णीत	
13.	18(ख)	निर्णीत	`41528/- की वसूली वाउचर संख्या शून्य दिनांक 08.08.23 द्वारा कर ली गई है

(ट)**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019 :-**

2.	4(1)ii व iii	अनिर्णीत	
4.	4(1)vi से ix	अनिर्णीत	
3.	6(ख)	अनिर्णित	
4.	6(ग)	अनिर्णीत	
7.	7(ख)	अनिर्णीत	
8.	7(ग)	अनिर्णीत	
9.	7(घ)	अनिर्णीत	
15	13	अनिर्णीत	
20	15	अनिर्णीत	
22	17	अनिर्णीत	
23	18	अनिर्णीत	
24	19	अनिर्णीत	
25	20	अनिर्णीत	
26	21	अनिर्णीत	
27	22	अनिर्णीत	
28	23	अनिर्णीत	
29	24	अनिर्णीत	

(ठ)**अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 :-**

1.	4(क)i	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
2.	4(क) ii	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है

3.	4(क)iii	निर्णित	कार्यवाही देख ली गई है
4.	4(क)iv	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
5.	4(क)v	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
6.	4(क)vi	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
7.	4(क)vii	निर्णीत	राशी जमा कर ली गई है
8.	4(क)viii	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
9.	4(क)ix	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
10	4(क)x	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
11	4(ग)i	अनिर्णीत	
12	4(छ)i	अनिर्णीत	
13	5	अनिर्णीत	
13	6	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
14	6 (क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
15	6(ख)	अनिर्णीत	
16	6(ग)	अनिर्णीत	
17	6(घ)	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गई है
18	7(क)	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
19	7(ख)	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
20	7(ग)	अनिर्णित	
21	7(घ)	अनिर्णीत	
22.	7(ड.)	अनिर्णीत	
23.	7(च)	अनिर्णीत	
24.	7(छ)	अनिर्णित	
25.	8	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
26.	9	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
27.	10	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
28.	11	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है

29.	12	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
30.	13(क)i से iii	अनिर्णीत	
31.	13(ख)	अनिर्णीत	
32.	14(क)i व ii	निर्णित	कार्यवाही व वसूली कर ली गई
33.	14(ख)i,ii	निर्णित	कार्यवाही व वसूली कर ली गई
33.	14(ग)i से v	निर्णित	कार्यवाही व वसूली कर ली गई
34.	14 (घ)	अनिर्णीत	
35.	14(ड.)i व ii	निर्णित	कार्यवाही व वसूली कर ली गई
36.	14(च)i	निर्णित	कार्यवाही व वसूली कर ली गई
37.	15	अनिर्णीत	
38.	16	अनिर्णीत	
39.	17	अनिर्णीत	
40.	18	निर्णित	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में दर्शाई है
41.	19 (क)i	निर्णित	कार्यवाही व `2907 वसूली कर ली गई
42.	19(क)ii	निर्णित	कार्यवाही व `13646 वसूली कर ली गई
43.	20	अनिर्णीत	
44.	21	अनिर्णीत	
45.	22	अनिर्णीत	
46.	23	अनिर्णीत	

लघु आपत्ति विवरणी

(क) अंकेक्षणप्रतिवेदन अवधि 07/58 से 03/59 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	8(A)	अनिर्णीत	

2 34अनिर्णीत

(ख)अंकेक्षणप्रतिवेदन अवधि 04/62 से 03/64 तक

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरे की स्थिति**	**टिप्पणी**
1	2	अनिर्णीत	
2	9	अनिर्णीत	
3	11	अनिर्णीत	
4	21	अनिर्णीत	
5	22	अनिर्णीत	
6	31	अनिर्णीत	
7	37	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का सार	**पैरों की संख्या**
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनुसार अनिर्णीत पैरे	157
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)26
कुल पैरे	**183**
अंकेक्षण के दौरान निर्णित किए गए पैरे	(-)29
अन्त शेष (दिनांक 31-3-19 तक)	**154**